महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, द्वारा चलाई जा रही स्कीम
विधवा एवं निराश्रित गृह (महिला आश्रम)
विज्ञापन

हरियाणा राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिये **विधवा एवं निराश्रित गृह (महिला आश्रम)** योजना चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य विधवा, बेसहारा व तलाकशुदा महिलाओं को अस्थाई तौर पर निःशुल्क आवासीय सुविधा, बिजली, पानी, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने से है। वर्तमान में जिला करनाल व रोहतक में महिला आश्रम चलाये जा रहे हैं।

योजना अनुसार निम्न श्रेणियों की महिलाएं संस्था में प्रवेश लेने की पात्र हैः–

1. विधवाएं जिनके परिवारों द्वारा सभी सम्बन्ध विच्छेद कर दिये हों और जिसका कमाने वाला कोई न हो, या उन्हे समर्थन करने की स्थिति में कोई भी अन्य पुरूष रिश्तेदार न हो; तलाकशुदा महिलायें जिनके परिवार की आय प्रतिवर्ष 2.50 लाख रूपये से अधिक नही है; महिलायें जिन्हें बिना मदद या सहारा के छोडा गया हो।
2. टी.बी. से एवं मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों से सम्बन्धित महिलायें, जो कमाने के लिये योग्य न हो और जिनका कमाने वाला कोई सदस्य न हो, न ही आय कोई साधन हो।
3. अनाथ लडकियाँ जिनका कोई न हो, को उनकी शादी तक या रोजगार मिलने तक जो भी पहले हो ।
4. महिलाएं जिनकी 16 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चें हों, अनाथ लड़कियों के मामले में

   उन्हें रोजगार मिलने तक।

(नोटः गोद लिए बच्चों को आश्रितों के रूप में नहीं माना जाएगा)

- आश्रित लड़कों को 16 वर्ष की आयु तक संस्था में रखा जा सकता है। 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरान्त किशोर विकास सदन, सोनीपत या बाल भवन, मधुबन में भेजा जा सकता है या स्कीम की गाईडलाईंस अनुसार प्रति माह दी जाने वाली वित्तीय सहायता के 6 माह के बराबर की राशि डिस्पर्सल ग्रांट के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

विधवा एवं बेसहारा गृहों में रह रही महिलाओं को वर्तमान में दी जा रही सुविधाएंः–

1) निःशुल्क आवासीय सुविधा, बिजली, पानी, प्रशिक्षण इत्यादि।
2) वित्तीय सहायता:

क) परिवार वाली महिलाएं	600/–रूपये प्रति माह प्रति सदस्य
ख) अकेली विधवा/निराश्रित महिला	700/–रूपये प्रति माह
ग) परिवार वाली महिलाओं को कपड़ा भत्ता	150/–रूपये प्रति माह प्रति सदस्य
घ) अकेली विधवा/निराश्रित महिला को कपड़ा भत्ता	150/–रूपये प्रति माह

3) संस्था में रह रही संवासी की लड़की की शादी होने पर 15000/–रूपये शादी अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

इस प्रकार की कोई भी महिला जो लाभ प्राप्त करना चाहती है वह रोहतक व करनाल जिले के उपायुक्त, जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एंव बाल विकास एवं अधीक्षक महिला आश्रम, रोहतक व करनाल से सम्पर्क कर सकती है।

निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
बेज न0 15–20, सैक्टर –4, पंचकूला।

Women and Child Development Department, Haryana

Scheme for Homes for Widows & Destitute Women (Mahila Ashram)

Advertisement

The department is running Widow and Destitute Homes for Girls/Women namely Mahila Ashrams under the operational guidelines of the "Scheme of Homes for Widows and Destitute Women". The main purpose of the scheme is to provide temporary shelter to young widows & destitute women through capacity building, training etc and equip them well to become economically self-dependent and lead a useful and meaningful life, in the main stream of the society. At present the homes are being run in district Karnal and Rohtak.

The following categories of women/girls having Haryana Domicile will be eligible for getting admission in these Homes:-

Widows whose families have severed all connections with them and who have no earning son, or any other male relative in a position to support them; Divorcee women whose family income is not more than Rs.2.50 lacs per annum; Deserted women left without help or support.

i) Widows whose families have severed all connections with them and who have no earning son, or any other male relative in a position to support them; Divorcee women whose family income is not more than Rs.2.50 lacs per annum; Deserted women left without help or support.

ii) Women belonging to families of persons suffering from T.B. and mental disease, who are not medically fit to earn and who have neither any earning members nor any means of income.

iii) Orphan/unattached girls claimed by none up till marriage or on seeking gainful employment, whichever is earlier.

iv) Women having children of only less than 16 years of age. In case of orphans girls, however, an exception should be made and they should continue till they are engaged in gainful occupation.

-Adopted children will not be treated as dependents.

-Dependent sons are maintained in the Home only till the age of 16 years. After that they may be shifted to Kishore Vikas Sadan, Sonepat or Bal Bhawan Madhuban or dispersed on payment of a lump sum 6 months cash dole as per the latest guidelines/instructions issued by the Government from time to time.

Financial Assistance given to the inmates residing in the Homes:-

Maintenance Allowance:

-Family	Rs.600/- per month per head
-Single Widow/destitute women	Rs.700/- per month
-Clothing allowance to the family	Rs.150/- per month per head
-Clothing allowance to the Single widow/destitute women	Rs.150/- per month

-Besides this, a marriage grant for daughters is being provided to the inmates residing in the home @ Rs.15,000/-.

Any Widow/destitute women may contact the concerned Deputy Commissioner, Rohtak and Karnal, District Programme Officers, Women & Child Development and Superintendent of Mahila Ashram Rohtak and Karnal.

Director, Women & Child Development Department
Haryana, Bays 15-20, Sector 4, Panchkula.